रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 471] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 31, 1972/कार्तिक 9, 1894

No. 471] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 31, 1972/KARTIKA 9, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

ORDER

New Delhi, the 31st October 1972

S.O. 686(E).—Whereas by the Order of the Government of India in the late Ministry of Commerce No. S.O. 3712, dated the 29th November, 1965, read with the Order of the Government of India in the Ministry of Foreign Trade No. S.O. 3764, dated the 17th November, 1970, the management of the industrial undertaking known as India United Mills Limited, Bombay had been taken over by the Authorised Controller referred to in the Order first mentioned above for a period up to and inclusive of the 28th November, 1972;

And whereas the Central Government is of the opinion that it is expedient in the public interest that the management of the said undertaking by the said Authorised Controller should continue for a further period of two years;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (2) of section 18A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby directs that the Order first mentioned above shall continue to have effect for a further period up to and inclusive of the 28th November, 1974.

[No. F. 11021/128/72-Tex(G).]

S. K. BAGCHI, Jt. Secy.

विदेश व्यापार मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 31 अक्टूबर, 1972

का० आ० 686(अ).—यतः भारत सरकार के विदेश व्यापार मंत्रालय के आदेश सं० का० आ० 3764, दिनांक 17 नवम्बर, 1970 के साथ पठित, भारत सरकार के भूतपूर्व वाणिज्य मंत्रालय के आदेश सं० का० आ० 3712, दिनांक 29 नवम्बर, 1965 द्वारा इंडिया यूनाइटेड मिल्स लि०, बम्बई (महाराष्ट्र) नामक औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध उपरिवर्णित अन्तिम आदेश में निर्दिष्ट प्राधिकृत नियंत्रक द्वारा 28 नवम्बर, 1972 तक के लिए, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, ग्रहण कर लिया गया था;

और यतः केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में यह समीचीन है कि उक्त प्राधिकृत नियंत्रक द्वारा उक्त उपक्रम का प्रबंध ग्रहण दो वर्ष की अवधि के लिए और बना रहना चाहिए ।

अतः, अब, उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 क की उप-धारा (2) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निदेश देती है कि उपरिवर्णित अन्तिम आदेश का प्रभाव 28 नवम्बर, 1974 तक के लिए जिसमें यह तारीख भी शामिल है और बना रहेगा ।

[सं० फा० 11021/128/72-टैक्स (जी)]

एम० के० बागची, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972